पेंशनभोगियों क्या करें

1. पेंशन से संबंधित प्रत्येक सूचना की प्रतिलिपि, प्रत्येक पेंशन प्रदायक शाखा/केंद्र द्वारा पेंशनभोगी को पृष्ठांकित की जानी है। पेंशनभोगी अपना पूरा डाक पता (पिन कोड सहित) हमेशा अद्यतन करते रहें। पते में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना निम्नलिखित को दें:-

   क. अपनी बैंक शाखा को ।

   ख. जिस मंत्रालय से आप सेवानिवृत्त हुए हैं वहां के विभागाध्यक्ष और भुगतान एवं लेखा कार्यालय को,

   ग. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को।

2. पेंशन खाते के लिए उचित नामांकन किया गया होना चाहिए। कृपया बैंक से प्राप्त पावती को सावधानी से रखें। यदि आप पेंशनभोगी हैं तो उचित होगा कि आप अपनी पत्नी/अपने पति के साथ संयुक्त खाता खोलें ताकि उन्हें बाद में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।
3. भुगतान शाखा पर पहली बार जाते समय विशेष सील प्राधिकार के साथ अपनी पहचान हेतु प्रमाण अपनी बैंक शाखा को भेज दें।
4. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) ने पीपीओ के दो अर्द्धभाग भेजे हैं- एक पेंशनभोगी के लिए और दूसरा बैंक के लिए। सत्यापन के लिए बुलाए जाने पर आपकी बैंक शाखा, पीपीओ का अर्द्धभाग आपको दे देगी। रिकॉर्ड के लिए आपके हस्ताक्षर, पीपीओ के बैंक वाले अर्द्धभाग पर लिए जाएंगे।
5. बैंक द्वारा आयकर परिकलन के लिए, समय-समय पर पात्र बचतों का समुचित एवं स्वीकार्य स्वीकृत प्रमाण उपलब्ध कराएं।
6. पेंशन से आयकर न काटे जाने पर भी वित्त वर्ष के समापन पर पेंशन से होने वाली आय का प्रमाण-पत्र बैंक से प्राप्त करें। यदि आयकर काटा गया हो तो कृपया फॉर्म-16 प्राप्त करें।
7. कृपया प्रत्येक वर्ष के नवंबर माह की शुरुआत में जीवित होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
8. यदि कोई पेंशनभोगी, जीवित होने का प्रमाण-पत्र, अनुबंध-XVII में निर्धारित रूप में, नीचे विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करता है तो उसे व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट मिल सकती है:-

   (i) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति;

   (ii) भारतीय पंजीकरण अधिनियम के तहत नियुक्त रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार;

   (iii) राजपत्रित सरकारी सेवक;

   (iv) पुलिस अधिकारी जो थाने अथवा कार्यालयों के प्रभारी उप-निरीक्षक से कम रैंक का न हो;

   (v) भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम श्रेणी अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसके सहायक बैंकों का अधिकारी (ग्रेड II अधिकारी सहित);

(vi) कोई पेंशनभोगी अधिकारी जो सेवानिवृत्ति से पूर्व मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता रहा हो;

(vii) जस्टिस आफ पीस;

(viii) खण्ड विकास अधिकारी, मुंसिफ, तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार;

(ix) ग्राम पंचायत का प्रधान, ग्राम पंचायत अथवा गांव की कार्यकारी समिति का मुखिया,

(x) संसद, राज्य विधान मंडल अथवा संघ शासित क्षेत्र सरकारों/प्रशासनों के विधान मंडलों के सदस्य

(xi) कोषागार अधिकारी

यदि कोई पेंशनभोगी अपनी पेंशन सरकारी बैंक से आहरित करता है तो जीवित होने का प्रमाण पत्र, सरकारी बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है। यदि पेंशनभोगी विदेश में रह रहा है और अपनी पेंशन, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किसी भी अन्य बैंक से आहरित करता है तो जीवित होने का प्रमाण पत्र उस बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है। पेंशनभोगी यदि उपर्युक्त बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे तो उसे व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट मिल सकती है।

ऐसा पेंशनभोगी, जो भारत में निवास नहीं कर रहा है, विशेष तौर पर व्यक्तिगत उपस्थिति से तभी छूट पा सकता है जब उसके विधिवत् प्राधिकृत एजेंट द्वारा मजिस्ट्रेट, नोटरी, बैंकर अथवा भारत के राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित जीवित होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाए।

9. प्रत्येक वर्ष के नवंबर/मई माह में गैर-रोजगार प्रमाण-पत्र/पुनर्नियोजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। सेवानिवृत्त समूह 'क' के अधिकारी को उपर्युक्त प्रमाण पत्र नवंबर में प्रस्तुत करना होगा।
10. यदि आपके बैंक में सीपीपीसी सुविधा नहीं है तो 14 वर्ष और 11 माह पूरे होने पर पेंशन के संराशीकृत (कम्यूटिड) भाग की बहाली के लिए भुगतान शाखा को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें।
11. यदि पेंशन में संशोधन हुआ हो तो पेंशनभोगी के पीपीओ का अर्धभाग, अपनी भुगतान बैंक शाखा को दे दें ताकि बढ़ी हुई पेंशन की प्रविष्टि, ब्यौरे सहित इस अर्धभाग में भी की जा सके।
12. यदि आपको किसी बकाए की एकमुश्त राशि मिली है तो अपनी बैंक शाखा से देय राशि और प्राप्त राशि के विवरण मांग लें।
13. कोई भी संशय होने पर अपनी बैंक शाखा से विवरण सहित पेंशन स्लिप उपलब्ध कराने की मांग करें।
14. पेंशनभोगी के पीपीओ के अर्धभाग के गुम होने, कट अथवा फट जाने पर तत्काल एक लिखित अनुरोध अपनी भुगतान बैंक शाखा को पेंशनभोगी के पीपीओ के अर्धभाग (यदि उपलब्ध हो) के साथ भेज दिया जाए।

15. कृपया पेंशन संबंधी अपने सभी दस्तावेज जिनमें पेंशनभोगी के पीपीओ का अर्धभाग शामिल है, को संभाल कर रखें; ये दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं।

16. पेंशन भुगतान पर किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा, बैंक के शिकायत अधिकारी अथवा सीपीएओ से टोल फ्री/कॉल सेंटर नम्बर 1800117788 पर संपर्क करें।

पेंशनभोगी क्या न करें।

1. सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन पेपर जमा करने में विलंब न करें क्योंकि इससे अंततः निम्नलिखित विभिन्न कार्यालयों द्वारा, समय-सारिणी के अनुपालन पर प्रभाव पड़ता है:

(i)	पीपीओ जारी करने वाला भुगतान एवं लेखा अधिकारी	सेवानिवृत्ति के माह से पहले के माह के अंतिम कार्यदिवस को पीएओ द्वारा सीपीएओ को पेंशन भुगतान आदेश प्रेषित किया जाना।
(ii)	केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय	सेवानिवृत्ति के माह की 20 तारीख तक सीपीएओ द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संबंधित शाखा को पीपीओ प्रेषित किया जाना।
(iii)	संबंधित शाखा	सेवानिवृत्ति के माह की 23 तारीख तक संबंधित शाखा द्वारा भुगतान शाखा को पीपीओ प्रेषित किया जाना।
(iv)	भुगतान शाखा	भुगतान शाखा, पेंशन संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पेंशन, पेंशनभोगी के खाते में, सेवानिवृत्ति माह के अंतिम दिन जमा हो जाए।

2. कृपया ऐसा पता व संपर्क नम्बर न दें जो निकट भविष्य में बदल सकता हो। कृपया अपना पता अद्यतन करते रहें और इसके लिए सूचना अपनी बैंक शाखा, पीएओ, सीपीएओ और जिस मंत्रालय से आप सेवानिवृत्त हुए हैं उसके डीडीओ को दें।
3. यदि आप पेंशन संवितरण के लिए अपना बैंक अथवा बैंक की शाखा बदलना चाहते हैं तो अपना पेंशन खाता तब तक बंद न करें जब तक पेंशन संवितरण के लिए नए खाते की पुष्टि नहीं हो जाती।
4. कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आपको भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत पूरी पेंशन/परिवार पेंशन मिल रही है या नहीं और यदि आपकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है तो क्या आपको महंगाई राहत सहित पेंशन मिल रही है या नहीं।
5. कृपया यह न भूलें कि प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से पेंशन दिए जाने संबंधी पेंशन विभाग की स्कीम के तहत, बैंकों द्वारा प्रत्येक पेंशनभोगी को माह के अंतिम दिन तक पेंशन का भुगतान किया जाना आवश्यक है।